## राजस्व विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. एफ. 5 36-1997-सात-1.—आम जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग का पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12-8-2009 को जारी किया गया था. अब उसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधित सिटीजन-चार्टर जारी किया जाता है :—

### राजस्व गतिविधियों से संबंधित सिटीजन चार्टर

| क्र. | कार्य/योजना का नाम | प्रभारी अधिकारी | निपटारे की समय-सीमा (दिवस) | कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पदनाम | शिकायत के निराकरण की समय-सीमा (दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | नामांतरण : | | | | |
| | (क) अविवादित | ग्राम सभा | 45 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | (ख) विवादित | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार. | 120 दिवस | उपखण्ड अधिकारी | 15 दिवस |
| 2 | बंटवारा : | | | | |
| | अविवादित— | | | | |
| | (क) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन दिया हो. | ग्राम सभा | 45 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | (ख) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन नहीं दिया है और सहखातेदारों को सूचित करना अपेक्षित है. | ग्राम सभा | 120 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | विवादित— जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित हो (यदि न्यायालय ने स्थगन दिया है तो स्थगन अवधि को कम करते हुए). | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार. | 210 दिवस | उपखण्ड अधिकारी | 15 दिवस |
| 3 | भूमि का सीमांकन | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार. | 30 दिवस (फसल खड़ी रहने या वर्षाकाल की अवधि को छोड़कर). | उपखण्ड अधिकारी | 15 दिवस |
| 4 | प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय : | | | | |
| | (क) सामान्य (साधारण) | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | 3 दिवस | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है. | 3 दिवस |
| | (ख) तत्काल कम्प्यूटर से खसरा प्रति | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | उसी दिन (कम्प्यूटर चालू होने पर). | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है. | 3 दिवस |